



**न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

**रेफरेन्स प्रकरण सं0 51/2013**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

**प्रार्थी**

बनाम


1. रिछपाल सिंह पुत्र महासिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर.बी. तहसील पदमपुर (मृतक) के कायम मुकाम  
1/1 शकुन्तला देवी पत्नी रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर.बी. तहसील पदमपुर  
1/2 उदयपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर.बी. तहसील पदमपुर

**अप्रार्थी**

**रेफरेन्स भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82**

**उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से**

**अनुपस्थिति : अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग अनुपस्थित**



**आदेश**

**दिनांक : 09.03.2018**

स्टेट की ओर से तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्बत 2013-16 में नया खसरा संख्या 70 में 6 बीघा रकबा गै.मु.जोहड दर्ज था। जिसका बन्दोबस्त में नया खसरा नम्बर 53 किया गया। ई.नम्बर 37 द्वारा 6 बीघा भूमि रिछपालसिंह पुत्र महा सिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर.बी. को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा खातेदारी प्रदान की गई। उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार आवजें लगवाई गईं उपस्थित नहीं आये।

राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रेफरेन्स में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह

व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा भी जोहड़ पायतन की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संलग्न 3 आर. बी."ए" पटवारी हल्का की रिपोर्ट 26.01.2013 के मुताबिक चक 2 आर.बी. का मु.न. 22 नया पुराना 53 किला नम्बर 12 ता 14, 17 ता 19 मुताबिक रिकार्ड रिछपाल सिंह पुत्र महासिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है। ई.न. 37 द्वारा उक्त रकबा श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश द्वारा रिछपालसिंह पुत्र महासिंह जाति राजपूत को खातेदारी घोषित किया गया। वर्तमान में उक्त रकबा रिछपाल सिंह पुत्र महासिंह के ही नाम है। सन् 1955 की जमाबन्दी नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2013-16 में नया खसरा संख्या 70 में 6 बीघा रकबा गै.मु.जोहड़ दर्ज था। जिसका बन्दोबस्त में नया खसरा नम्बर 53 किया गया। ई.नम्बर 37 द्वारा 6 बीघा भूमि रिछपालसिंह पुत्र महासिंह जाति राजपूत निवासी 2 आर.बी. को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा खातेदारी प्रदान की गई। उक्त भूमि की किस्म जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जावे।

अतः रेफरेंस में वर्णित भूमि की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(146)राज-7/2011 जयपुर, दिनांक 26-06-12 में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 किया है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके **Water Flow** से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की



तिथि 31-10-1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बाँध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं, के आलोक में आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपटित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार पदमपुर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)  
जिला कलेक्टर  
(प्रधान कार्यालय, पदमपुर)